न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

GCMS No.2020/00135 (Bank Case)
Manual no- 44/2020

"जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक रजिस्टर्ड कार्यालय –102 कंचन अपार्टमेंट, एल0बी0एस0 कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर राजस्थान पिन–302004 में स्थित व कार्यरत है ।

— प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती शहनाज प्रवीण पत्नी श्री रफीक अहमद (ऋणी–बंधककर्ता)
   पता–मकान नं. 4–एफ–26,गली नं. 5, उडिया बस्ती, विज्ञान नगर कोटा राजस्थान–324007
2. श्री राहिल अहमद पुत्र श्री रफीक अहमद (सहऋणी)
   पता– मकान नं. 4–ई–26,संजय नगर उडिया बस्ती विज्ञान नगर कोटा राजस्थान–324007
3. श्री आरीफ अहमद पुत्र श्री अजीज अहमद (जमानती)
   पता– मकान नं. 4–एफ–28, संजय नगर उडिया बस्ती, विज्ञान नगर कोटा राजस्थान–324007

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री अमर सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः **26.08.2020**

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी "जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक रजिस्टर्ड कार्यालय –102 कंचन अपार्टमेंट, एल0बी0एस0 कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर राजस्थान पिन–302004 में स्थित व कार्यरत है । अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 31.03.2018 को 4,00,000/– (अक्षरेः चार लाख मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी संख्या 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्रीमति शहनाज पत्नि श्री रफीक अहमद की सम्पत्ति सर्वे नम्बर 258, उडिया बस्ती विज्ञान नगर कोटा राजस्थान प्लॉट एरिया 326.25 वर्गगज है । जिसकी चर्तुः सीमा पूरब में– शरीफन का मकान, पश्चिम में– मोहम्मद खान का मकान, उत्तर में–रोड 14.6 फुट का, दक्षिण में– रोड 16.10 फुट का जिसका पट्टा क्रमांक/नियमन–आवंटन/2013/148 दिनांक 24.01.2013 को नगर विकास न्यास द्वारा श्री रफीक अहमद के नाम जारी किया गया है ।** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 15.07.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी उसके खाते मे 4,43,379/– (अक्षरेः चार लाख, तियालीस हजार तीन सौ उन्यासी मात्र) बकाया रकम दिनांक 22.10.2019 तक शेष देय है व दिनांक 23.10.2019 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

Scanned by CamScanner

संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 02.11.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राजस्थान केसरी में व अंग्रेजी समाचार पत्र द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 09.01.2020 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 02.11.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राजस्थान केसरी में व अंग्रेजी समाचार पत्र द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 09.01.2020 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद बन्धककर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 02.11.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राजस्थान केसरी में व अंग्रेजी समाचार पत्र द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 09.01.2020 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्रीमति शहनाज पत्नि श्री रफीक अहमद की सम्पत्ति सर्वे नम्बर 258, उडिया बस्ती विज्ञान नगर कोटा राजस्थान प्लॉट एरिया 326.25 वर्गगज है । जिसकी चर्तुः सीमा पूरब में– शरीफन का मकान, पश्चिम में– मोहम्मद खान का मकान, उत्तर में–रोड 14.6 फुट का, दक्षिण में– रोड 16.10 फुट का जिसका पट्टा क्रंमाक/नियमन–आवंटन/2013/148 दिनांक 24.01.2013 को नगर विकास न्यास द्वारा श्री रफीक अहमद के नाम जारी किया गया है** । का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 26.08.2020 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)